गुजरात का फॉर्मूला अपना रही सरकार

प्रदेश में जमीन के बदले मुआवजा नहीं, जमीन ही मिलेगी

सच प्रतिनिधि || भोपाल।

मध्यप्रदेश में अब सरकारी प्रोजेक्ट में लेटलतीफी नहीं होगी। जमीनों के अधिग्रहण में ही प्रोजेक्ट कई साल तक लटके रहते थे, वहीं जमीन मालिक को भी ये शिकायत रहती थी कि सरकार ने सही मुआवजा नहीं दिया। उनकी जमीन ज्यादा कीमती या उपजाऊ थी और उन्हें कम मुआवजा मिला।अब सरकारी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण की बजाय सरकार लैंड पूलिंग करेगी। इसके लिए सोमवार को विधानसभा में सरकार ने जमीनों के अधिग्रहण करने वाले कानून में बदलाव का विधेयक पेश किया है। विधेयक पारित होने पर सरकार जमीन के बदले उसके मालिक को 50 फीसदी जमीन विकसित करके देगी। वो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पास।

इसका बड़ा फायदा ये भी होगा कि अभी नॉन-प्लानिंग एरिया में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) जैसी संस्थाएं ही सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग प्रोजेक्ट ला सकती हैं। अब इस एकाधिकार को खत्म कर सभी सरकारी विभागों के लिए निवेश के द्वार खोल दिए गए हैं। हालांकि, ऐसे प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए से कम लागत के नहीं होंगे।

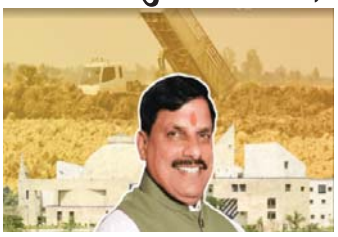

सरकार और जमीन मालिक दोनों का फायदा

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ल का कहना है कि यदि किसी प्रोजेक्ट के लिए सरकारी एजेंसी के पास फंड नहीं है तो प्रोजेक्ट के बायदे में आने वाली निजी जमीन खरीदने की दरकार नहीं होगी। इसी तरह निजी जमीन के मालिक को विकसित जमीन मिलेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। प्रावधान के मुताबिक, विशेष क्षेत्र के बायदे में आने वाली 50 फीसदी जमीन का उपयोग करने के लिए प्रोजेक्ट के लेआउट में तय होगा कि इसका व्यवसायिक अथवा आवासीय या अन्य उपयोग होगा। यदि तीन में से सिर्फ एक के लिए जमीन का उपयोग किया जाता है तो स्वामीय निकाय से अनुमति अनिवार्य रहेगी। लेकिन तीनों श्रेणियों में उपयोग करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से अनुमति लेनी होगी।

500 करोड़ से अधिक या 40 हेक्टेयर के प्रोजेक्ट पर लागू होगा

नए प्रावधान के मुताबिक, ऐसे विशेष क्षेत्र जिन्हें 40 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाना है, वहां सरकारी एजेंसियां 500 करोड़ या अधिक की विकास परियोजनाओं पर काम कर सकेंगी। अब नए प्रावधान के तहत संबंधित प्राधिकरण को एक प्लानिंग तैयार करनी होगी, जिसे राज्य शासन के पास लाकर अनुमति लेनी होगी। मध्यप्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण मामले में गुजरात के फॉर्मूले को अपनाने का निर्णय लिया है। बरअसल, मध्यप्रदेश शासन के अधिकारी गुजरात गए थे। जहां उन्होंने इस स्कीम के बारे में सारी जानकारी हासिल की है। उसके बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण मामले में गुजरात फार्मूले को लागू करने का फैसला लिया। जिसके तहत पूरे परियोजना क्षेत्र को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण घोषित करके जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इस तरह का कानून महाराष्ट्र में भी लागू है।

प्लानिंग एरिया के बाहर हाउसिंग बोर्ड और पीडब्ल्यूडी ला सकेंगे प्रोजेक्ट

सरकार की तरफ से सोमवार को लागत तथा ग्राम निवेश अधिनियम (टीएंडसीपी) कानून में संशोधन बिल विधानसभा में पेश किया गया। सरकार ने लागत तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में नई धारा 66 (क) जोड़ी है। इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी भी परियोजना की जमीन को लैंड पूलिंग स्कीम में शामिल किया जा सकता है। शहरी सीमा के अंदर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित होने वाले विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए अब विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) जैसी एजेंसी के गठन की जरूरत नहीं होगी। ये काम हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण, पुलिस हाउसिंग और पीडब्ल्यूडी करेगा। इसके साथ ही प्राधिकरण जैसे बीडीए, आईडीए शहर के योजना क्षेत्र यानी प्लानिंग एरिया के बाहर भी रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कॉलोनियां काट सकेंगे।
वहीं, साडा शहर के अंदर विकास कार्य कर सकेगा। अभी पचमढ़ी समेत मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में विकास के लिए साडा है। यहां दूसरी एजेंसी काम नहीं कर सकती।

मऊगंज में सनी को करंट लगाकर मारा था

आदिवासियों ने लाइट काटकर पुलिस पर किया था हमला

मऊगंज। मेरे भाई को करंट लगाकर मारा गया था। उसकी मौत होने के बाद भी वो उसे बेरहमी से पीटते रहे। उसकी पसलियां टूटी थीं। करंट के चलते बाँडी में खून और पानी तो छोड़िए, यूरिन तक सूख गया था। प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बातें सनी द्विवेदी के भाई रोहन ने कहीं। मऊगंज जिले के गड़रा गांव में रहने वाले रोहन के भाई सनी की हत्या 15 मार्च को गांव के ही आदिवासी परिवार ने कर दी थी। सनी को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर भी हमलावरों ने गांव की लाइट काटकर अंधेरे में हमला बोला। इस हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई थी। अन्य 12 घायल हो गए थे। वारदात के चार दिन बाद भी गांव में तनाव पसरा है।

मीडिया की टीम ने गड़रा पहुंचकर वारदात के सभी पक्षों से बातचीत की। हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर एक छोटे से गांव में ऐसा क्या लिखा था, जो इतना बड़ा हो गया गड़रा गांव में आदिवासियों के करीब 50 घर एक साथ बने हैं। इनमें एक भी पुरुष दिखाई नहीं दिया। एक-दो घरों में महिलाएं मिलीं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ इतना बोलीं- उस वक्त हम यहां नहीं थे। खेत में थे।

गांव में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अब तक करीब 20 आदिवासियों को हिरासत में ले लिया गया है। हमने कुछ ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश की। सभी ने कैमरे पर आने से मना कर दिया। कुछ ग्रामीण नाम सामने न लाने की शर्त पर बोले- पूरी घटना दो महीने पहले हुए अशोक आदिवासी के मर्डर की प्रतिक्रिया में हुई है। कुछ लोगों का कहना था कि वो मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट था। आदिवासियों के मन में संदेह था कि ये एक मर्डर था या फिर कह लें कि किसी ने उनके मन में ये बात बैठाई थी। हमला करने वालों में 90 परसेंट महिलाएं और बच्चे शामिल थे। उनके हाथों में लाठी, डंडे, पत्थर, कुल्हाड़ी, नारियल छीलने वाली टांगी और हँसिया जैसे हथियार थे। उस वक्त इस गांव में अंधेरे में जो शोर हुआ, वो आस-पास के कई गांववालों ने सुना था।

सनी को बंद कर दरवाजे के बाहर महिलाएं बैठी थीं

रोहन ने बताया- जानकारी लगते ही वोघहर डेढ़ बजे मैं, मेरी बहन, मेरी मां और पापा वो बाइक से अशोक कोल के बेटे के घर पहुंचे। उन लोगों ने मेरे भाई को जिस घर में बंद कर रखा था, उसके बाहर 20 से ज्यादा महिलाएं बैठी हुई थीं। हम आगे बढ़े तो उन्होंने हमें रोक दिया।सनी के भाई रोहन द्विवेदी ने कहा- एक साल पहले की बात है। अशोक कोल और अन्य आदिवासियों को हमारे पिताजी ने जमीन बान दी थी। उन्होंने पिताजी से उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए कहा। कुछ आदिवासियों के नाम पर पिताजी पहले ही जमीन की रजिस्ट्री कर चुके थे। अशोक कोल ने भी पिताजी से अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात कही।
घर में बंधक बने सनी को कुछ लोग मार रहे थे और पत्रकार रुपीक लाइव वीडियो बना रहा था। सनी बोल रहा था कि वह छुटकर जाएगा तो पीटने वालों को बताएगा। इस पर आरोपियों ने कहा- जब यहां से छूट कर जाओगे, तब बताओगे न। आरोपियों ने पुलिस को कबूलनामे में बताया कि पहले से ही उसकी हत्या की साजिश रच चुके थे।

नए हाईटेक लोको तैयार यूरिनल एयर कंडीशनर जैसी कई सुविधाएं

भोपाल। पश्चिम मध्य रेल के इटारसी विद्युत लोको शेड ने अत्याधुनिक तकनीक से युक्त 12 हजार किलोवाट के दो मल्टी लोको तैयार किए हैं। इनमें से एक लोको मंगलवार को कमीशनिंग हो चुका है दूसरा अगले सप्ताह होगा। खास बात ये है कि इस लोको में वाटरलेस यूरिनल, कैब एसी, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, वेस्टिब्यूल कनेक्शन, सिग्नल एक्सचेंज लेम्प आदि सुविधाएं हैं। यूरिनल सुविधा होने से लोको पायलटों को राहत मिलेगी। वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि यह आधुनिक लोको हाई पॉवर की क्षमता से लैस है, जो कि सामान्य लोकोमोटिव की तुलना में लगभग दोगुनी शक्ति प्रदान करता है, जो इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। इसकी सहायता से मालवाहक गाड़ियों का संचालन किया जा सकेगा। इन दोनों लोको नबंर 65036 एवं 65059 में यूरिनल सुविधा होने से पायलटों को राहत मिलेगी। बता दें कि अभी जितने भी लोको है, उसमें ना तो टॉयलेट, यूरिनल और एसी की सुविधाएं नहीं है। नए लोको में उक्त सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।

भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी उपलब्धि

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि नवीनतम तकनीक से तैयार इन लोको के कमीशनिंग से रेलवे के माललदान, कार्यक्षमता और राजस्व में भी वृद्धि होगी। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई है। इस लोको की ढुलाई क्षमता 12000 हॉर्स पॉवर है। इससे यह लोको अधिक माललदान में सक्षम है। इसकी अधिक क्षमता के कारण मालगाड़ियों के संचालन में तेज़ी आएगी। इससे यात्रा का समय कम होने के साथ ही अधिक माल ले जाना संभव होगा। यह लोको अधिक माल लद्दान में सक्षम है। इससे भारतीय रेलवे को अधिक मालगाड़ियों के संचालन और 3000 मीट्रिक टन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

प्रदेश में लगातार कम हो रहे हैं अर्द्धशासकीय कर्मचारी

सच प्रतिनिधि || भोपाल।

प्रदेश में कार्यरत अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या लगातार कम हो रही है। यह हम नहीं बल्कि मप्र विधानसभा में सरकार द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में कर्मचारी नियोजन की रिपोर्ट कह रही है। हालांकि इसमें नियमित सेवा के कर्मचारियों में बढ़ोत्तरी भी दर्शाई गई है। बावजूद इसके 31 मार्च 2024 की स्थिति में यह 2.76 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

दरअसल 2023 और 2024 के बीच मात्र 3125 ही सरकार की नियमित सेवा में शामिल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के मुकाबले नियमित सेवा में आये कर्मचारियों में सबसे कम है। सबसे ज्यादा 82 हजार 684 कर्मचारियों को 2020 में लिया गया था। 2021 में यह घटकर 17 हजार 229 और 2022 में 15137 कर्मचारी ही शामिल हो पाए थे। बता दें कि 2024 में सरकार के शासकीय विभाग नियमित, राजकीय सार्वजनिक उपक्रम यानी अर्द्धशासकीय कर्मचारी, नगरीय स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण और विश्वविद्यालयों में 11 हजार 827 कर्मचारी बढ़ने के बाद कुल 6 लाख 81 हजार 278 कर्मचारी हो गये हैं। जबकि 2023 में यह 6 लाख 69 हजार 451 से अधिक नहीं थी।

बढ़ने के बजाय घट रहे अर्द्धशासकीय कर्मचारी

अर्द्धशासकीय संस्थानों में कर्मचारी बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। बीते 5 साल में यह कमी 13 हजार 86 रही है। साल 2024 में 2728 कर्मचारी घट गये। जबकि इसके पहले 2022 में 5501 और साल 2021 में यह 1469 कर्मचारी कम हुए थे। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि गणना में 2 लाख 37 हजार 774 को शामिल नहीं किया गया है। बताया गया है कि कार्यभारित, आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले (सेटअप के अंतर्गत), दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कोटवारों एवं संविदा कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। क्योंकि शासकीय विभागों के अंतर्गत शामिल कर्मचारी नियमित नियोजन वालों ही इसमे शामिल किये गये हैं।

50 प्रतिशत भी नहीं महिलाओं की भागीदारी

शासकीय सेवा में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत भी नही है। पुरूष कर्मचारियों के मुकाबले यह भागीदारी 40 प्रतिशत है। बता दें कि शासकीय कर्मचारियों की कुल संख्या 6.06.876 है। इसमें पुरुष कर्मचारियों की संख्या 4,29,750 एवं महिला कर्मचारियों की संख्या 1,77.126 है।

5 हजार आबादी वाली पंचायतों में बनेंगे दो सामुदायिक भवन

भोपाल। मप्र की ऐसी पंचायतें, जहां की आबादी 5 हजार से अधिक हैं, वहां अब दो सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधि गांव में ही एक सही जगह का चयन कर लें। मप्र में शहरी क्षेत्रों से सटी करीब 1200 पंचायतों को लेकर विशेष योजना बनाई जाएगी।

पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिला पंचायतों के पदाधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि वे जनपद पंचायतों की बैठकों में परामर्शदाता की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करें। उन्होंने कहा कि हर पंचायत प्रतिनिधि को कम से कम अपनी पसंद के एक गांव को आदर्श बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं और जितनी योजनाएं संचालित हैं, उन्हें मिलाकर आदर्श गांव बनाने का काम करना चाहिए और शुरूआत अपने गांव से करें। मंत्री का कहना है कि पंचायतों की सामान्य सभा की बैठकें कैबिनेट की बैठक के समान होती हैं। इसको पूरी गंभीरता से लें।

सिंहस्थ में इसी से होगा महाकाल का अभिषेक

उज्जैन में हो रही पुष्पा वाले लाल चंदन की खेती

सच प्रतिनिधि || उज्जैन।

चंदन तस्करी पर बनी फिल्म पुष्पा में जिस लाल चंदन का जिक्र है, वह अब उज्जैन की जमीन पर भी लहलहा रहा है। साल 2022 में वन विभाग ने शहर के उदयन रोड के पास 1.74 हेक्टेयर एरिया में चंदन के 600 पौधे लगाए थे। जिनकी ऊंचाई अब 6 से 7 फीट तक हो चुकी है। इस बगीचे को चंदन वन नाम दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग ने इसकी जानकारी छिपाकर रखी थी।

लाल चंदन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जंगलों में मिलता है। मध्यप्रदेश सरकार ने साल 2022 में किसानों को चंदन की खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट के तौर पर ये 600 पौधे मंगवाए थे। इनकी देखभाल कर रहे डिप्टी रेंजर अनिल सेन के मुताबिक, चंदन के पौधे दिसंबर 2028 तक पेड़ में तब्दील हो जाएंगे। इसके बाद इनकी कटाई होगी।

चंदन वन प्रभारी वनपाल रजनी चौहान ने टीम के साथ गुड़, गौमूत्र, बेसन से निर्मित जीवा अमृत से सारे चंदन के पौधों की देखभाल की। उज्जैन के इसी चंदन से सिंहस्थ-2028 में भगवान महाकालेश्वर का अभिषेक किया जाएगा। देशभर से आने वाले साधु-संतों को चंदन से तिलक कर अगवानी की जाएगी। इसी मकसद से वन विभाग ने पहली बार उज्जैन में लाल के अलावा सफेद चंदन के भी पौधे लगाए थे। सिंहस्थ के पहले ये तैयार हो जाएंगे।

कचरा परिवहन घोटाले में ईओडब्ल्यू ने ग्यारह साल बाद दर्ज की एफआईआर

जबलपुर। जबलपुर नगर निगम में कचरा घोटाला सामने आया है। मामला 2014 का है जब तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी और सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सफाई कामगार सहकारी समिति के अध्यक्ष के साथ मिलकर लाखों रुपए का हेरफेर कर डाला। 11 साल बाद जांच के दौरान आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

नगर निगम के इन अधिकारियों ने फर्जी नोटशीट बनाकर ठेकेदार को लाखों रुपए का भुगतान कर दिया था। तत्कालीन मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक ने मामले की लिखित में शिकायत कमिश्नर को दी थी, जिसके बाद स्वास्थ अधिकारी को पद से हटा दिया था, जबकि सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था।

जबलपुर नगर निगम के संभाग क्रमांक 8 भान तलैया में पदस्थ सीएसआई केके दुबे ने आरपी गुप्ता से चार्ज लेने के बाद जब जांच की तो पता चला कि कर्मचारी सफाई के काम में कम लगाए थे, इतना ही नहीं वरिष्ठ अधिकारियों को अधूरी जानकारी दी जा रही थी। तत्कालीन सीएसआई ने 6 लाख 4 हजार रुपए का बिल बनाकर नोटशीट संभाग कार्यालय में भेज दी।

तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी विनोद श्रीवास्तव और सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल जैन ने हेमंत करसा, अध्यक्ष, नेताजी सुभाषचंद्र बोस ,सफाई कामगार सहकारी समिति के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करके 13 लाख 17 हजार याने की करीब 8 लाख 20 हजार रुपए का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदार को कर दिया। बताया जा रहा है कि उस समय पुष्पेंद्र यादव ठेकेदार था,जिसे कि भुगतान किया गया था। सीएसआई केके दुबे के संज्ञान में जब यह कचरा घोटाला सामने आया तो उन्होंने तक्कालीन कमिश्नर वेदप्रकाश से इसकी लिखित में शिकायत की।

ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की

जबलपुर नगर निगम में 2014 में हुए कचरा घोटाले की जांच की और अखिरकार 16 मार्च 2025 को तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी विनोद श्रीवास्तव, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल जैन, हेमंत करसा, अध्यक्ष, नेताजी सुभाषचंद्र बोस ,सफाई कामगार सहकारी समिति के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी एवं धारा 7 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संशोधित अधिनियम) 2018 का अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले में अब जल्द ही ईओडब्ल्यू गिरफ्तारी करेगी।

भ्रष्ट अफसरों पर केस चलाने सालों से स्वीकृति की जंग लड़ रहा लोकायुक्त

सच प्रतिनिधि || ग्वालियर।

भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी अफसरों पर केस शुरू करने के लिए लोकायुक्त को न्यायालय में भी जूझना पड़ रहा है। भ्रष्टाचारियों पर केस की मंजूरी के 26 मामले शासन के पास वर्षों तक लंबित रहने के बाद अमान्य किए जाने पर लोकायुक्त ने न्यायालय में याचिका लगाई है। इनमें सर्वाधिक मामले भिंड में राजीव गांधी शिक्षा मिशन योजना के तहत स्कूलों के निर्माण कार्य को लेकर हैं। बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक के खिलाफ केस की मंजूरी का मामला न्यायालय में भी 9 साल से लंबित है।

भिंड में स्कूल निर्माण में भ्रष्टाचार के 18 मामले

भिंड जिले में स्कूलों में निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार व गड़बड़ियां हुईं। इस घोटाले में

2015 में लोकायुक्त में 18 मामले दर्ज हुए। लोकायुक्त ने तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी नरेश चंद्र शर्मा, उपयंत्री रविशंकर शर्मा सहित बृजेश दुबे, सतीश दुबे, सुभाष दुबे, अर्चना शर्मा, रामकुमार मिश्रा, अजय दीक्षित, आरपी कोरी व कैलाश अग्रवाल के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए। इन सभी मामलों में अभियोजन स्वीकृति शासन ने अमान्य कर दी। इसके बाद लोकायुक्त ने सभी 18 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति के लिए न्यायालय में अलग-अलग याचिका लगाई हैं। इनमें अधिकांश मामले 2021 में न्यायालय में लगाए गए और सभी मामले अभी लंबित हैं। ग्वालियर नगर निगम में पदस्थ रहे आयुक्त विवेक सिंह के दो प्रकरणों में कोर्ट में चालान पेश किए हैं। पूर्व आयुक्त और 6 अन्य अफसर व कर्मचारियों के खिलाफ 2020 में शासन द्वारा अभियोजन स्वीकृति देने से मना करने पर लोकायुक्त ने 2022 में अभियोजन स्वीकृति के लिए याचिका कोर्ट में पेश की। विवेक के खिलाफ एक अन्य प्रकरण भी विगत वर्ष कोर्ट में पेश किया। यह प्रकरण भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से संबंधित हैं।

इसी प्रकार जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड मुख्य अभियंता जीएस श्रीवास्तव के खिलाफ 2015 में स्वर्णरेखा मामले में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। शासन से अभियोजन स्वीकृति अमान्य किए जाने पर 2021 में कोर्ट में याचिका पेश की है। याचिका कोर्ट में लंबित है।

बोर्ड की 90 लाख कॉपियों की जांच शुरु

मार्क्स देने में गड़बड़ी हुई तो नपेंगे शिक्षक

सच प्रतिनिधि || भोपाल।

मध्यप्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, एमपी बोर्ड ने परीक्षाओं के संचालन के साथ ही कॉपी चेकिंग का काम शुरू कर दिया है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल के एक आदेश ने कॉपी चेक करने वालों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल, इस वर्ष एमपी बोर्ड की परीक्षा में 17 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं, जिनकी 90 लाख आंसर शीट यानी उत्तरपुस्तिकाएं जांची जाएंगी। वहीं इवैल्यूएशन में गड़बड़ी रोकने के लिए बोर्ड ने नया आदेश जारी किया है।माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मूल्यांकनकर्ताओं में कसावट लाने के लिए मूल्यांकन को तीन स्तरों पर बांटा है। इसके बाद भी अगर कॉपी चेक करने में गड़बड़ी होती है तो संबंधित मूल्यांकनकर्ता पर कार्रवाई की जाएगी।

तीन स्तरों पर होगा मूल्यांकन का कार्य- एमपी बोर्ड का मूल्यांकन इस बार तीन स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए मूल्यांकनकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी गई है। इस संबंध में एमपी बोर्ड ने आदेश भी जारी किया है। इसके तहत कॉपियों का मूल्यांकन मुख्य परीक्षक, उप मुख्य परीक्षक और परीक्षक स्तर पर किया जाएगा। अगर किसी परीक्षार्थी ने एक ही उत्तर को कई बार लिखा है, तो इसकी गणना एक ही बार की जाएगी। परीक्षक के कॉपी जांचने के बाद उप मुख्य परीक्षक आंसर शीट की दोबारा जांच करेंगे, जिसमें कोई त्रुटि की गुंजाइश न रह जाए। इसके बाद इसका परीक्षण मुख्य परीक्षक स्तर पर भी किया जाएगा।

एवरेज नंबर देने वालों पर रहेगी नजर- एमपी बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि ज्यादा कॉपियों चेक करने के लिए अगर मूल्यांकनकर्ता खानापूर्ति करता है या एवरेज मार्किंग करते हुए आगे बढ़ता है, तो ऐसे लोगों पर नजर रखी जाएगी। अधिकारी तत्काल ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं पर कार्रवाई करेंगे। परीक्षक कॉपी जांचने के साथ उत्तरपुस्तिकाओं के अंक भी ऑनलाइन अपलोड करते जाएंगे। इस दौरान भी अगर गलतियां हुई तो परीक्षक और उप मुख्य परीक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी।

एक दिन में इतनी कॉपियों की जांच- भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने बताया, एक दिन में एक शिक्षक को न्यूनतम 30 और अधिकतम 45 उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना है। इसके बाद ऑनलाइन अंक भी अपलोड करने होंगे।गौरतलब है कि एमपी बोर्ड के इस आदेश के बाद कॉपी जांचने वाले शिक्षक सतर्क होने के साथ चिंतित भी हो रहे हैं।

22 आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजरों को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश

काम में कोताही पर एक्शन

सच प्रतिनिधि || उमरिया।

उमरिया जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत अभय सिंह ने प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में अनुपस्थित रहने तथा फोन पर संपर्क न करने के कारण 22 आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजरों को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है। इस संबंध में उन्होंने सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मध्यप्रदेश परिमंडल, भोपाल को पत्र लिखा है।

सीईओ जिला पंचायत ने पत्र में उल्लेख किया कि आधार ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों को इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उपस्थित रहना आवश्यक था। बावजूद इसके वे अनुपस्थित रहे और जब उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। उनकी इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए, तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।

जिला पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यक्रमों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए जाते हैं, उन्हें उसका पालन करना होगा। यदि वे अनुपस्थित रहते हैं या जिम्मेदारी से बचते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार कर्मियों की उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी अनिवार्य होती है। उमरिया जिले के इन 22 आधार ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे अन्य कर्मचारियों को भी स्पष्ट संदेश मिलेगा कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।